गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.12.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.12.2019 को प्रातः 11:30 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
3.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
4.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
5.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 एम.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
7.	प्रो0 ए.एस. रणदिव	सदस्य
8.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
9.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो0 ए.के. सक्सेना
02 प्रो0 व्ही.डी. रंगारी
03 प्रो0 मनीषा दुबे
04 प्रो0 व्ही.एस. राठौर
05 प्रो0 डी.एन. सिंह
06 प्रो0 पी.के. बाजपेयी
07 प्रो0 एम.के. सिंह

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.11.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.11.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 **मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी कश्मीर से विस्थापित एवं कश्मीरी हिन्दुओं के पुत्र–पुत्रियों को दिये जाने वाले छूट संबंधी प्रावधानों पर विचार।**

विचारोपरान्त स्थायी समिति ने निर्णय लिया गया कि प्राप्त पत्र के प्रकाश में विश्वविद्यालय के सीटों की पुर्नगणना कर अतिरिक्त सीटों का निर्धारण कर संबंधित नियामक निकायों एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र प्रेषित किया जाय एवं सीट संख्या वृद्धि के संबंध में मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाय।

विषय क्र. 03 **एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) एवं श्री धन्वतरी फार्मेसी कॉलेज, गुजरात के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर बाबत्।**

समिति ने यह निर्णय लिया कि समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 04 **प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क के परीक्षा हेतु शुल्क निर्धारण विषयक।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा हेतु शुल्क विगत वर्षों में लिये गये शुल्क के समान रखा जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि परीक्षा प्रक्रिया के निर्धारण हेतु मार्गदर्शिका का प्रारूप प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुलसचिव–अकादमी प्रारूपित कर लेवें एवं अधिसूचित करा देवें।

विषय क्र. 05 **वानिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश संशोधन पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया जाय तथा यह भी निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों के एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में पदोन्नती की प्रक्रिया एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रावधान में संशोधन कर विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित प्रावधानों के अनुरूप कर लिया जाय।

विषय क्र. 06 **प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क की परीक्षा आयोजन के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि परीक्षा प्रक्रिया के निर्धारण हेतु मार्गदर्शिका का प्रारूप प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुलसचिव–अकादमी प्रारूपित कर लेवें एवं अधिसूचित करा देवें।

विषय क्र. 07 **MOOCS के लिए प्रस्तावित विनियम पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव के परीक्षण हेतु समिति गठित की जाय। समिति यह परीक्षण करेगी कि प्रस्तावित विनियम एवं विश्वविद्यालय के प्रचलित अध्यादेशों में कोई विरोधाभाषी प्रावधान तो नहीं है। समिति अपना प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगी।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदया स्थायी समिति की ओर से अधिकृत रहेंगी।

विषय क्र. 08 **CBCS प्रणाली के अंतर्गत भौतिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित SEC पाठ्यक्रम पर विचार।**

स्थायी समिति ने भौतिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित अध्ययन मण्डल के कार्यवृत्त का अवलोकन किया तथा पाया कि–

1) अध्ययन मण्डल की बैठक की सूचना प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जारी होना प्रतीत नहीं होता है।

2) अध्ययन मण्डल की बैठक में बाह्य विषय विशेषज्ञ का कोई अभिमत या उपस्थिति दर्ज नहीं है।

3) अध्ययन मण्डल के कार्यवृत्त में उल्लेखित शिक्षकों के नामों में से कौन–कौन से शिक्षक अध्ययन मण्डल के निवर्तमान सदस्य है एवं गणपूर्ति करते है यह स्पष्ट नहीं है।

4) अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तावित अंक योजना पूर्व निर्धारित अंक योजना के अनुरूप नहीं है।

5) एस.ई.सी. हेतु भौतिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सी.बी.सी.एस. हेतु जारी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

अतः समिति यह निर्णय लेती है कि भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं भौतिकी विज्ञान विद्यापीठ के अधिष्ठाता संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करेंगे एवं विश्वविद्यालय के सुसंगत अध्यादेशों के प्रावधान एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विषय क्र. 09 **B.Pharm VI Sem. (ATKT) परीक्षा 2018–19 की कोड कमांक AY-5619 विषय Pharmacognocy की दो उत्तर पुस्तिका गुम हो जाने संबंधी प्रकरण पर विचार करने संबंधी।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रकरण पर तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने एवं तथ्यों को स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत कराने तथ्यात्मक जांच समिति का गठन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदया स्थायी समिति की ओर से अधिकृत रहेंगी।

विषय क्र. 10 **बी.ए. पत्रकारिता पंचम सेमेस्टर सत्र 2018–19 के Introduction to Advertising विषय की द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में अनुकमांक 16305109 की उत्तर पुस्तिका नहीं मिलने एवं इस संबंध में प्राप्त शिकायत पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सम्पूर्ण प्रकरण पूर्व में गठित सुसंगत तथ्यात्मक जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय एवं समिति से पूरे प्रकरण पर यथोचित अनुशंसा प्राप्त कर ली जाय।

विषय क्र. 11 **VRET 2019–20 के आयोजन पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि VRET 2019–20 हेतु प्रस्तावित प्रवेश सूचना प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि निम्नानुसार तिथियों को विज्ञापन प्रारूप में शामिल कर लिया जाय।

आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ तिथि 31 दिसम्बर, 2019

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी, 2020

प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की तिथि 31 जनवरी, 2020

परीक्षा तिथि 08 फरवरी, 2020

परिणाम घोषणा तिथि 17 फरवरी, 2020

विषय क्र. 12 विधि विभाग के द्वारा अनुशंसित अंक योजना पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को विधि विभाग के अध्ययन मण्डल को यथोचित परीक्षण हेतु वापस कर दिया जाय।

विषय क्र. 13 अध्ययन मण्डल, रसायन विभाग के द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि रसायन विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 14 अध्ययन मण्डल, वानिकी विभाग के द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि वानिकी विभाग के द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार

अ.अ.वि.क्र. 01 श्रीमती मीनाक्षी जायसवाल के शोध पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी प्रकरण पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि फार्मेसी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं संबंधित अधिष्ठाता जीव विज्ञान विद्यापीठ के अधिष्ठाता के साथ मिलकर श्रीमती मीनाक्षी जायसवाल के शोध पाठ्यक्रम संबंधी दोनों प्रकरणों का पुनः परीक्षण करेंगे एवं विश्वविद्यालय में प्रभावी शोध अध्यादेश एवं विनियमों तथा प्रचलित प्रभावी प्रावधानों के प्रकाश में यथोचित अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करायेंगे।

अ.अ.वि.क्र. 02 सी.बी.सी.एस. प्रणाली के अंतर्गत अधिसूचित अध्यादेशों के एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में पदोन्नती संबंधी प्रावधानों के लिए प्रस्तावित संशोधन पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव एवं प्रारूप को संबंधित अधिष्ठाताओं से स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर लिया जाय। संबंधित अधिष्ठाताओं से प्राप्त अभिमत/टीप को स्थायी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (प्रभारी)/सचिव | **कुलपति/अध्यक्ष**